# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4327/2022

दिलीप जांगिड

–अपीलार्थी

**बनाम**

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा।
4. अधीक्षक, नवीन चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज परिसर, कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

**आदेश की दिनांक** : 01.11.2022

**उपस्थित –**

अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मेन्द्र जैन, अधिवक्ता

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**मातादीन शर्मा, सदस्य**

**आदेश**

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन नवीन चिकित्सालय, कोटा से एसडीएच, नैनवा बूंदी में किया गया है।
3. उनका तर्क है कि आलौच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष होना मानते हुए उसे समायोजित/पदस्थापित किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 30.09.2021 के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भवानी मण्डी, झालावाड से नवीन चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, कोटा समकक्ष/उच्च रिक्त पद पर किया गया था। नवीन चिकित्सालय, कोटा में नर्स ग्रेड–द्वितीय वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर का पद रिक्त होते हुए भी अपीलार्थी का वेतन तकनीकी सहायक के पद के विरूद्ध उठाया जाता रहा है। अधीक्षक नवीन चिकित्सालय, मैडिकल कॉलेज परिसर द्वारा अपने

पत्र दिनांक 22.08.2022 द्वारा इस पद पर अपीलार्थी को समायोजित किये जाने हेतु लिखा गया। स्पष्ट है कि अपीलार्थी को गलत रूप से अधिशेष दिखाया गया है और इस आधार पर आदेश दिनांक 30.09.2022 अपास्त किये जाने योग्य है।

4. उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी की माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 को अपास्त किया जावे।
5. हमने विद्वान् अधिवक्ता के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।
6. आलोच्य आदेश में अपीलार्थी को अधिशेष होना माना गया है। अपीलार्थी द्वारा जो दस्तावेज दिनांक 13.08.2022 (अनुलग्नक–3) प्रस्तुत किया गया है, उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी नर्स ग्रेड–द्वितीय के पद पर कार्यरत है और वरिष्ठ तकनीकी सहायक के पद के विरूद्ध कार्य कर रहा है और वरिष्ठ तकनीकी सहायक के पद के विरूद्ध वेतन प्राप्त कर रहा है। ऐसे में अपीलार्थी को अधिशेष होना आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 में माना गया है, उसे त्रुटिपूर्ण होना नहीं माना जा सकता है।
7. जहां तक अपीलार्थी की माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, इसके अलावा अपीलार्थी व्यक्तिगत परेशानियों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र है।
8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा बताई गई आपत्ति उचित नहीं है। अतः अपील में कोई बल नहीं होने से अपील ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

**(मातादीन शर्मा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**

R